



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082023-247930
CG-DL-E-09082023-247930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3394]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945

No. 3394]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2023

का.आ. 3547(अ).—केंद्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ज की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अध्याय 5ख के प्रयोजनों के लिए प्रवेश और निकासी के लिए निम्नलिखित को पत्तन के रूप में अभिहित करती है, अर्थात:-

- (1) अमृतसर ;
- (2) चेन्नई ;
- (3) दिल्ली ;
- (4) कांडला ;
- (5) कोच्चि ;
- (6) कोलकाता ;
- (7) कोझिकोड ;
- (8) मुंबई ;
- (9) मुद्रा ;
- (10) न्हावा शेवा ;
- (11) तिरुवनंतपुरम ;
- (12) तूतीकोरिन ।

[फा. सं. डब्ल्यू एल-1/11/2023/ डब्ल्यू एल]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक, (वन्यजीव) और निदेशक, वन्यजीव संरक्षण परिरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2023

S.O. 3547(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 49H of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby designates the following as the ports of entry and exit for the purposes of Chapter VB of the said Act, namely:—

1. Amritsar;
2. Chennai;
3. Delhi;
4. Kandla;
5. Kochi;
6. Kolkata;
7. Kozhikode;
8. Mumbai;
9. Mundra;
10. Nhava Sheva;
11. Thiruvananthapuram;
12. Tuticorin.

[F. No. WL-1/11/2023-WL]

BIVASH RANJAN Addl. Director General of Forests (WL) And Director, Wild Life Preservation